



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची।**

वन भवन, डोरण्डा, राँची



e-mail : pccf-development@gov.in

0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/ यो0ब0-07/2020-404 दिनांक 04/6/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, राँची/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, सिमडेगा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, आदित्यपुर/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, चाईबासा/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, दुमका/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, लातेहार/ सामाजिक वानिकी प्रमण्डल, गढ़वा/ साहेबगंज वन प्रमण्डल/ दुमका वन प्रमण्डल/ राँची वन प्रमण्डल/ गुमला वन प्रमण्डल/ जामताड़ा वन प्रमण्डल/ सरायकेला वन प्रमण्डल।

विषय :-

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वन भूमि पर वृक्षारोपण का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) हेतु कुल रु0 448.558 लाख (चार करोड़ अड़तालीस लाख पचपन हजार आठ सौ रुपये) मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

प्रसंग:-

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/ यो0ब0-32/2020-22/स्वी0 व0प0 दिनांक 19.01.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/ यो0बजट-32/2020-03/आ0 व0प0 दिनांक 21.05.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष 2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-58-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2021-22 में उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में कुल रु0 448.558 लाख (चार करोड़ अड़तालीस लाख पचपन हजार आठ सौ रुपये) मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाईयों में किया जाता है:-

प्राथमिक इकाई	विपत्र कोड	(राशि लाख में)
मजदूरी	19S240601796580103	418.051
आपूर्ति एवं सामग्री	19S240601796580323	30.507
कुल :-		448.558

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी अनुलग्नक-1 पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने समुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं विभाग को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। कार्यदर अनुलग्नक-2 तथा ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति अनुलग्नक-3 पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S240601796580103, 19S240601796580323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक-2561, दिनांक-17.04.1998 एवं समय-समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्रों के अनुरूप किया जायेगा।

5. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवरिधि कोषागार/उप कोषागार से की जायेगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जायेगा।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा।

7. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड होंगे, जिनके द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जाएगा।

8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जायेगा।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।

10. नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं नियमावली में अंकित बैठकों का आयोजन सक्षम स्तर पर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास द्वारा किया जाएगा। यह online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी की जा सकती है।

11. ऐसी कार्यान्वयन एजेन्सी जिनका कार्य संतोषप्रद न हो तथा जहाँ आवश्यक सुधार की आवश्यकता हो, इस संबंधी सूचना इस कार्यालय को दी जाए।

12. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं हो, यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।

13. दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय ब्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

14. (i) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100% निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100% भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा।

(iii) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(iv) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(v) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा योजना कार्यान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया जाएगा।

(vi) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNREGA इत्यादि के पैट्रन पर तैयार करायें।

(vii) सभी भुगतान DBT या सीधे बैंक खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्तिकर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थिति में नगद भुगतान नहीं किया जायेगा।

(viii) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(ix) Income tax (IT)/ Service Tax (GST/VAT)/ Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

15. मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(i) सभी यंत्र-संयत्र, मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(ii) वैसे यंत्र-संयत्र एवं मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

16. COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवास इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

17. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अभियान के तहत हजारीबाग, गिरीडीह एवं गोड्डा जिलों में योजना के कार्यान्वयन पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।

18. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक-1204 दिनांक- 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

20. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या-940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक को अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जाए।

21. इस योजनांतर्गत वानिकी कार्यों का संपादन विभागीय अधिसूचना संख्या-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया

जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जानेवाले ऐसे कार्य जिनकी दर विभागीय अधिसूचना सं0-2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञांपाक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अंतर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

22. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation समय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

23. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक-3542, दिनांक-19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

24. कोषागार से निकासी के संबंध में योजना-सह-वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा समय-समय पर निर्गत योजना-सह-वित्त विभाग के आदेश/निर्देश लागू होंगे।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-07/2020-404 दिनांक- 04/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी, उत्तरी छोटानागपुर, पलामू एवं हजारीबाग/दक्षिणी छोटानागपुर, राँची/संथाल परगना, दुमका/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, दुमका/राँची/जमशेदपुर/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, दुमका/देवघर/राँची/गुमला/जमशेदपुर/एनवीस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक- 01/यो0ब0-07/2020-404 दिनांक- 04/6/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची/जमशेदपुर/चाईबासा/दुमका/लातेहार/गढ़वा/साहेबगंज/गुमला/जामताड़ा/सरायकेला-खरसावां को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली “अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण” योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टेक्टर) का समापन कार्य (द्वितीय वर्ष) का प्रमण्डलवार उप आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

क्र. सं.	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी	भौतिक लक्ष्य (हेक्टेक्टर में)	वित्तीय वर्ष 2021-22 (द्वितीय वर्ष)		
			मजदूरी	आपूर्ति एवं सामग्री	कुल राशि
			34464.23	2515.00	36979.23
i	ii	iii	iv	v	vi
1	सा०वा० प्रमण्डल, राँची	150	51.697	3.772	55.469
2	सा०वा० प्रमण्डल, सिमडेगा	100	34.464	2.515	36.979
3	सा०वा० प्रमण्डल, आदित्यपुर	125	43.080	3.143	46.223
4	सा०वा० प्रमण्डल, चाईबासा	100	34.464	2.515	36.979
5	सा०वा० प्रमण्डल, दुमका	200	68.928	5.030	73.958
6	सा०वा० प्रमण्डल, लातेहार	120	41.358	3.017	44.375
7	सा०वा० प्रमण्डल, गढ़वा	100	34.464	2.515	36.979
8	साहेबगंज वन प्रमण्डल	68	23.436	1.710	25.146
9	दुमका वन प्रमण्डल	50	17.232	1.258	18.490
10	राँची वन प्रमण्डल	50	17.232	1.258	18.490
11	गुमला वन प्रमण्डल	50	17.232	1.258	18.490
12	जामताडा वन प्रमण्डल	50	17.232	1.258	18.490
13	सरायकेला वन प्रमण्डल	50	17.232	1.258	18.490
योग :-		1213	418.051	30.507	448.558

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए वृक्षारोपण योजना की अनुसूचित कार्य दर

योजना का नाम : वनभूमि पर वृक्षारोपण (1666 पौधा प्रति हेक्टर)

पौधों की संख्या प्रति हेक्टर : 1666

पौधों की दूरी : (3m x 2m)

मजदूरी दर : 311.33 प्रति मानव दिवस

क्र०	कार्य का विवरणी	इकाई	मानव दिवस	मजदूरी (रु० मे)	सामग्री (रु० मे)	कुल व्यय (रु० मे)	अभियुक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
(A) समापन कार्य (द्वितीय वर्ष)							
1	अंश पौधशाला कार्य रात्री प्रहरी सहित	हेक्टर	21.50	6693.60	0.00	6693.60	
2	वृक्षारोपण	हेक्टर	36.50	11363.55	0.00	11363.55	
3	दो कोड़नी एवं निकौनी	हेक्टर	41.50	12920.20	0.00	12920.20	
4	ट्रैक के वर्ष पर घेरान हेतु बीज रोपन	हेक्टर	2.00	622.66	0.00	622.66	
5	पौधों की सुरक्षा (30 हेक्टर तक)	स्थल	9.20	2864.24	0.00	2864.24	
6	सामग्री (बीज, उर्वरक, खाद, रसायन आदि)		0.00	0.00	2365.00	2365.00	
7	विविध कार्य (छायांकन, प्रचार प्रसार, मुद्रण एवं संकलन आदि)		0.00	0.00	150.00	150.00	
	योग—		110.70	34464.23	2515.00	36979.23	



अपर प्रधान मुख्यमन्त्री संरक्षक, विकास,
झारखण्ड, राँची



आवंटन आदेश


झारखण्ड सरकार

चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती हैं


पत्र संख्या - 01/YB-07/2020/404

दिनांक -

04-Jun-2021

क्रमांक	विषय कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
1	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24510	DRNFWL004 NIRANJAN PRASAD DEO DFO.SOCIAL FORESTRY DIV.RANCHI 03 - मजदूरी	5,169,700.00 रूपये इकावन लाख उनहत्तर हजार सात सौ
2	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24521	SDGAIF002 ASHOK KUMAR GUPTA DIV. F O SOC. FORESTRY SIMDEGA 03 - मजदूरी	3,446,400.00 रूपये चौतीस लाख छ्यालीस हजार चार सौ
3	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24526	JSRFOR116 SUNIL KUMAR D.F.O. S.F.DIV.ADITYAPUR JSR. 03 - मजदूरी	4,308,000.00 रूपये तीरयालीस लाख आठ हजार
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
योग: क्रमिक योग:		रूपये एक करोड उन्तीस लाख चौहास हजार एक सौ		12,924,100.00
			 (NAND KISHORE SINGH) SPOKESPERSON DEPT. OF FOREST & FLORA RANCHI	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
4	S 19 24060179658010103	24530	SGHFOR001	3,446,400.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SRI. MAHALING (I.F.S.)	रुपये चौतीस लाख छयालीस हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.SOCIAL FORESTRY DIV.CBSA	वार सौ
	58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भन्ने		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
5	S 19 24060179658010103	24535	DMKFOR003	6,892,800.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SUSHIL SOREN (I.F.S)	रुपये अडसठ लाख बयानवे हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.S.F.DIVDUMKA	आल सौ
	58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भन्ने		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
6	S 19 24060179658010103	24540	LTRFOR004	4,135,800.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SAUMITRA SHUKLA	रुपये इकतालीस लाख पैतीस हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O. S.F.D LATEHAR	आठ सौ
	58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01 - वेतन एवं भन्ने		03 - मजदूरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
योग:	रुपये दो करोड तीहत्तर लाख निम्नानवे हजार एक सौ			14,475,000.00
क्रमिक योग:				27,399,100.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
7	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24543	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW 03 - मजदुरी	3,446,400.00 रुपये चौतीस लाख छयालीस हजार चार सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
8	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24545	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ 03 - मजदुरी	2,343,600.00 रुपये तेइस लाख तीरयालीस हजार सि: सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
9	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24547	DMKFOR010 SOURAV CHANDRA D.F.O.DUMKA 03 - मजदुरी	1,723,200.00 रुपये स त्र ह लाख तेइस हजार दो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये तीन करोड उनचास लाख बारह हजार तीन सौ			7,513,200.00
क्रमिक योग:				34,912,300.00
			 (NAND KISHORE SINGH) S/NO. PCCE DEV. JHARKHAND	

क्रमांक	विपरीत कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
10	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24552	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO, RANCHI FORES DIVISION RA 03 - मजदूरी	1,723,200.00 रुपये स त्र ह लाख तेइस हजार टो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
11	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24554	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 03 - मजदूरी	1,723,200.00 रुपये स त्र ह लाख तेइस हजार टो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
12	S 19 24060179658010103 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01 - वेतन एवं भत्ते	24558	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA 03 - मजदूरी	1,723,200.00 रुपये स त्र ह लाख तेइस हजार टो सौ
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			

प्र०

रुपये चार करोड़ इक्कहासी हजार नौ सौ

क्रमिक योगः


(NAND KISHORE SINGH)
ADDL. PCTC DEV. JHARKHAND

5,169,600.00

40,081,900.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
13	S 19 24060179658010103	24561	SKLFOR001	1,723,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ADITYA NARAYAN	रुपये स त्र ह लाख तेहस हजार दो सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D. F. O.	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		SERAIKELLA-KHARSA	
	01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		WAN	
	01 - वेतन एवं भत्ते		03 - मजदुरी	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
14	S 19 24060179658010323	24566	DRNFWL004	377,200.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		NIRANJAN PRASAD DEO	रुपये तीन लाख सित्योत्तर हजार दो सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		DFO.SOCIAL	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		FORESTRY	
	01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		DIV.RANCHI	
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
15	S 19 24060179658010323	24568	SDGAIF002	251,500.00
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ASHOK KUMAR GUPTA	रुपये दो लाख इकावन हजार पाँच सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		DIV. F O SOC.	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		FORESTRY SIMDEGA	
	01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	03 - प्रशासनिक व्यय			
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
योग:				2,351,900.00
क्रमिक योग:	रुपये चार करोड चौहस लाख तीस हजार आठ सौ			42,433,800.00
			(NAND KISHORE SINGH) DDI PCCE DEV JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
16	S 19 24060179658010323	24569	JSRFOR116	314,300.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SUNIL KUMAR	रुपये तीन लाख चौदह हजार तीन सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		S.F.DIV.ADITYAPUR	
	01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		JSR.	
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
17	S 19 24060179658010323	24573	SGHFOR001	251,500.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		SRI. MAHALING (I.F.S.)	रुपये दो लाख इकावन हजार पैंच सौ
	01 - वानिकी		D.F.O.SOCIAL	
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		FORESTRY DIV.CBSA	
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
18	S 19 24060179658010323	24574	DMKFOR010	125,800.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी		SOURAV CHANDRA	रुपये एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ
	01 - वानिकी		D.F.O.DUMKA	
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना			
	58 - अधिसूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिसूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय		23 - आपूर्ति एवं सामग्री	
	State Scheme :	NA		
	Central Scheme :	NA		
योग:	रुपये चार करोड इकतीस लाख पच्चीस हजार चार सौ			691,600.00
क्रमिक योग:				43,125,400.00
			(NAND KISHORE SINGH) ADDL ECCE DEV JHARKHAND	

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
19	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	24576	LTRFOR004 SAUMITRA SHUKLA D.F.O. S.F.D LATEHAF	रुपये तीन लाख एक हजार सात सौ 
20	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	24577	GRHFWL003 SAUMITRA SHUKLA DFO SOCIAL FORESTRY DIV GARHW	रुपये दो लाख इकावन हजार पौंच सौ 
21	S 19 24060179658010323 2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूचित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूचित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय	24578	SBJFOR001 SRI MANISH TIWARI DIV.FOR.OFF.SAHIBG NJ	रुपये एक लाख इकहत्तर हजार 
State Scheme : NA Central Scheme : NA				
रोग: क्रमिक रोग: रुपये चार करोड अड्डीस लाख उनचास हजार छ: सौ  (NAND KISHORE SINGH) ADDL PCCE DEV JHARKHAND				
724,200.00 43,849,600.00				

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
22	S 19 24060179658010323	24582	DRNFWL013 ASHOK KUMAR DUBEY DFO. RANCHI FORES DIVISION RA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	125,800.00 रुपये एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
23	S 19 24060179658010323	24583	GMLFOR001 SRIKANT IFS D.F.O. GUMLA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	125,800.00 रुपये एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
24	S 19 24060179658010323	24584	JMTFOR001 BANKAR AJINKYA DEVIDAS D.F.O. JAMTARA 23 - आपूर्ति एवं सामग्री	125,800.00 रुपये एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ
	2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी 01 - वानिकी 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 58 - अधिमूलित वन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 01-अधिमूलित वनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण 03 - प्रशासनिक व्यय			
	State Scheme : NA Central Scheme : NA			
योग:	रुपये चार करोड बयालीस लाख सत्ताइस हजार			377,400.00
क्रमिक योग:				44,227,000.00

क्रमांक	विपत्र कोड	एक्सेस नं	निकासी एवं व्ययन पदा.	आवंटित राशि
25	S 19 24060179658010323	24585	SKLFOR001	125,800.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		ADITYA NARAYAN	रुपये एक लाख पच्चीस हजार आठ सौ
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D. F. O.	
	58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		SERAIKELLA-KHARSA	
	01-अधिमूलित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण		WAN	
	03 - प्रशासनिक व्यय			23 - आपूर्ति एवं सामग्री
26	S 19 24060179658010323	24604	DMKFOR003	503,000.00
	2406 - वानिकी तथा बन्य प्राणी			
	01 - वानिकी		SUSHIL SOREN (I.F.S)	रुपये पाँच लाख तीन हजार
	796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		D.F.O.S.F.DIVDUMKA	
	58 - अधिमूलित बन भूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	01-अधिमूलित बनभूमि पर वृक्षारोपण एवं भू-संरक्षण			
	03 - प्रशासनिक व्यय			23 - आपूर्ति एवं सामग्री
योग:				628,800.00
क्रमिक योग:	रुपये चार करोड अड्डतालीस लाख पचपन हजार आठ सौ			44,855,800.00